

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा।

विधि वाद सं०-81/2017

महेन्द्र राणा बनाम ब्रह्मदेव मिस्त्री

आदेश की
क्रम एवं
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

16/02/23 अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के पत्रांक-89, दिनांक-28.03.07 के माध्यम से न्यायालय अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी का अभिलेख संख्या-01/2016-17 महेन्द्र राणा एवं अन्य बनाम ब्रह्मदेव मिस्त्री से संबंधित मूल अभिलेख प्राप्त है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया।

उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने-अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि—“यह कि प्रस्तुत वाद इस विद्वान न्यायालय के समक्ष आवेदक महेन्द्र राणा की ओर से बहस यह कि वादग्रस्त भूमि मौजा-हेसापारन, थाना-राजपुर, जिला-चतरा के खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-391 रकबा-0.51 ए० भूमि विगत सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है एवं साथ ही साथ खतियान में आहर अंकित है। यह कि वगत सर्वे खतियान में पूर्व से ही उक्त भूमि पर स्थित आहर से ग्राम के कृषकों का फसल की सिंचाई की जाती थी। यह कि जमीन्दारी व्यवस्था में भी भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा उक्त आहर का अपने देख रेख में जिर्णोद्धार का कार्य कराया गया था। यद्यपि कि खतियान में उक्त भूमि गैरमजरूआ खास दर्ज है, परंतु वास्तव में यह भूमि सार्वजनिक है, तथा लम्बे समय से इस भूमि को सार्वजनिक रूप से इसका उपयोग किया जाता रहा है। यह कि काल क्रम में उक्त भूमि पर विपक्षीगण क्रमशः ब्रह्मदेव मिस्त्री सुखदेव मिस्त्री, सुरेश मिस्त्री एवं राजेन्द्र मिस्त्री सभी पिता स्व० जागो मिस्त्री ग्राम हेसापारन जिला चतरा ने भूमि को बेईमानी पूर्वक हड़पने के नियत से अवैध रूप से जाली एवं कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर अंकित अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के कार्यालय से तथ्य को छुपाकर जमाबंदी कायम कराते हुए सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत करने लगे। यह कि उपरोक्त अवैध जमाबन्दीदार के

परिजन विपक्षी ब्रह्मदेव मिस्त्री एवं अन्य के साथ उपर वर्णित सार्वजनिक भूमि का विक्री करते हुए विक्रय विलेख निष्पादित किया एवं क्रेता विक्रेताओं ने आपस में साजिश रचकर अंचल कार्यालय को धोखा देकर तथ्य को छुपाते हुए दाखिल खारिज भी स्वीकार करा लिये। यह कि उक्त तथ्यों की जानकारी के पश्चात् आवेदक एवं अन्य ग्रामीणों ने उक्त भूमि माफियाओं के विरुद्ध में शिकायत आवेदन वर्ष 2016 ई0 में विद्वान अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के समक्ष किया जिसपर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई एवं वांछित प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् अवैध एवं त्रुटि पूर्ण आदेश 18.04.2016 को पारित करते हुए अग्रेतर ओदश हेतु इस विद्वान न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। यह कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्षी एवं अन्य व्यक्तियों का उपर वर्णित भूमि की कायम जमाबंदी को तत्काल रद्द किया जाना न्यायहीन में आवश्यक है। यह कि यह वाद बिहार भूमि सुधार कानून 1950 की धारा 04 एवं 4 (H) से संबंधित एवं प्रभावित है, तथा मामला ज्वलंत है एवं ग्रामीणों से जुड़ी हुई समस्या है। अतः सादर निवेदन है कि उपर वर्णित तथ्यों एवं बिन्दुओं के आलोक में सादर निवेदन है कि ब्रह्मदेव मिस्त्री एवं अन्य जमाबंदीदार जिनकी जमाबंदी उपरोक्त भूमि का कायम है, जो तत्काल रद्द करने का आदेश देने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि—“यह है कि यह वर्तमान वाद द्वितीय पक्ष के विरुद्ध पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने के योग्य है। यह है कि प्रथम पक्ष के द्वारा काल्पनिक तथा आधारहीन तथ्यों के आधार पर अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा वाद संख्या-01/2016-17, दिनांक-18.04.2016 संधारित कर संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजात की मांग की गई। अंचल अधिकारी के द्वारा प्रथम पक्ष महेन्द्र राणा के आवेदन को दिनांक-09.05.2016 को खारिज किया गया है। यह है कि निम्न न्यायालय का findings नियमसंगत है तथा जारी रखने के योग्य है। यह है कि निम्न न्यायालय के द्वारा यह बताया गया है कि द्वितीय पक्ष की मां हुलास देवी, पति-जागो मिस्त्री के नाम से वैध कागजातों के आधार पर कायम किया गया है, जो अभी जारी है। यह है कि निम्न न्यायालय के द्वारा यह सही तरीके से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लंबे समय से हुलास देवी, पति-जागो मिस्त्री, ग्राम-हेसापारम के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा

सकता है तथा उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष ब्रह्मदेव मिस्त्री का आवासीय मकान बना हुआ है। यह है कि खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-391, रकबा-0.51 एकड़ ग्राम-हेसापारम, थाना-राजपुर, जिला-चतरा का भूमि हुलास देवी, पति-जागो मिस्त्री के द्वारा निबंधित सेल डीड संख्या-1172, दिनांक-30.05.1966 के माध्यम से विक्रेता बालदेव पाण्डेय, बाढ़ो राय, बासुदेव राय, यदुविर राय एवं महावर राय से क्रय की गई भूमि है। हुलास देवी, पति-जागो मिस्त्री जो द्वितीय पक्ष की मां है, अपनी खरीदगी भूमि पर क्रय करने के पश्चात् से ही दखलकार है तथा जमाबंदी कायम है। यह है कि खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-391, कुल रकबा-0.57 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास भूमि पूर्व जमीन्दार के नाम से दर्ज है। पूर्व जमीन्दार मोहो कुंवारी, पति-उमरांव राय के द्वारा पांच आना चार पाई के माध्यम से निबंधित पट्टा संख्या-734, दिनांक-09.09.1946 के द्वारा बाढ़ो राय एवं अन्य के पक्ष में बंदोबस्त कर दिया गया है। यह है कि अन्य जमीन्दार रामचन पाण्डेय एवं मानकी पाण्डेय के द्वारा संयुक्त रूप से उक्त भूमि का दो तिहाई हिस्सा निबंधित पट्टा बंदोबस्ती डीड संख्या-735, दिनांक-09.09.1946 के माध्यम से बालदेव पाण्डेय के नाम बंदोबस्त किया गया है। यह है कि निबंधित पट्टा के माध्यम से बंदोबस्ती के पहले ही पूर्व जमीन्दार के द्वारा सादा हुकुमानामा के माध्यम से बाढ़ो राय एवं अन्य तथा बालदेव पाण्डेय के नाम से संवत् 1999 साल में बंदोबस्त किया गया है। यह है कि उक्त निबंधित पट्टा संख्या-734, दिनांक-09.09.1946 एवं 735, दिनांक-09.09.1946 के माध्यम से भूमि प्राप्त होने के बाद जमाबंदी कायम होकर जमीन्दारी रसीद तथा जमीन्दारी उन्मूलन के बाद वर्ष 1955 से सरकारी रसीद निर्गत है तथा सम्पूर्ण दखल कब्जा में है। यह भी है कि जमीन्दारी उन्मूलन के बाद पूर्व जमीन्दार के बाढ़ो राय एवं अन्य तथा बालदेव पाण्डेय के नाम से क्षतिपूर्ति वाद संख्या-310/1957-58 के माध्यम से रिटर्न भी दाखिल किया गया है। यह है कि बाढ़ो राय एवं बासुदेव राय दोनों के द्वारा खाता संख्या-20, का रकबा- 0.40 एकड़ राज्यपाल बिहार डीड संख्या-xxxxx, दिनांक-06.07.1974 के माध्यम से गिफ्ट किया गया था जो साबित करता है कि बाढ़ो राय एवं अन्य को रैयत के रूप में मान्यता प्राप्त था। इससे स्पष्ट है कि हुलास देवी, पति-जागो मिस्त्री के पक्ष खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-391, रकबा-0.51 एकड़ भूमि जो हस्तांतरण किया गया है बिल्कुल सही है। यह है कि खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-391, रकबा-0.51 एकड़ भूमि निबंधित सेल डीड संख्या-1172, दिनांक-30.05.1966 के माध्यम से

द्वितीय पक्ष की मा हुलास देवी का खरीदगी भूमि है तथा उक्त भूमि पर अपने पूरे जीवन काल में दखलकार रही है। माता की मृत्यु के बाद द्वितीय पक्ष ब्रह्मदेव गिररी शांतिपूर्वक दखलकार होकर, लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त कर रहे है। यह है कि प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को परेशान करने की नियत से आधारहीन आवेदन दायर किया गया था, जो खारीज करने के योग्य है। यह है कि लंबे समय से कायम जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है। द्वितीय पक्ष के विज्ञा अधिवक्ता के द्वारा हुलास देवी के नाम से कायम जमाबंदी को जारी रखने हेतु अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी को आदेश देने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी ने अपने आदेश फलक में यह उल्लेखित किया है कि—“आवेदक महेन्द्र राणा एवं अन्य द्वारा आवेदन दिया गया कि ग्राम—हेसापारण, पंचायत—चारु, थाना—राजपुर, खाता संख्या—20, प्लॉट संख्या—391, रकवा—0.51 ए0 जमीन गैरमजरूआ खास जो कि आहर है। इस आहर को वर्षों से हमलोगों के पूर्वज बनाये थे जो कि सर्वे में दर्ज है। आहर के आस पास करीब 30 एकड़ जमीन में सिचाई किया जाता है यह शैकी आहर हेसापारण मुख्य मार्ग सड़क से होते हुए पाण्डेमहुवा जाने वाली रास्ते पर स्थित है। आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया कि गाँव के ब्रह्मदेव राणा उर्फ ब्रह्मदेव मिस्त्री 2. सुखदेव राणा उर्फ सुखदेव मिस्त्री दोनो पिता स्व0 जगी राणा द्वारा अवैध बंदोबस्ती का कागज बनाकर उक्त भूमि पर अवैध रूप से घर बना रहे है। आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे। एवं द्वितीय पक्ष ब्रह्मदेव राणा को नोटिस निर्गत कर कागजात की मांग करे इस बीच थाना प्रभारी राजपुर को निदेश दिया जाय कि मौजा हेसापारण खाता संख्या—20, प्लॉट संख्या—391 रकवा—0.57 एकड़ पर हो रहे मकान कार्य की अविल्मब अगले आदेश तक स्थागित करे ताकि दोनो पक्षों के बीच शांति व्यवस्था कायम रहे। संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि सर्वे खतियान के अनुसार मौजा हेसापारण थाना संख्या 56 खाता संख्या 20 प्लॉट संख्या 391 रकवा 0.57 ए0 भूमि का किस्म आहर दर्ज है। उक्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। पंजी 2 के अनुसार पंजी 2 के पृष्ठ संख्या—60/1 पर हुलास देवी पति जागो मिस्त्री खाता संख्या 20 रकवा—1.08 एकड़ दर्ज है भूमि बिक्री होकर $1.08 - 0.19 \frac{1}{4} = 0.88 \frac{3}{4}$ शेष बचा है जिसका लगान रसीद 28.8.2011 तक दर्ज है। प्रतिवादी ब्रह्मदेव मिस्त्री अपने पक्ष में निम्नवत कागजात प्रस्तुत किये गये। 1. रिटर्न 2

का सत्यापित सूची 13 पृष्ठ में 2. लगान रसीद संख्या-257812, दिनांक-05.04.87, 417349, दिनांक-26.03.88, 73705, दिनांक-10.3.81, 115587, 743665, 146657, 594404, 569969, 078053, 2968510 का छायाप्रति 3. केवाला संख्या-1172/30.5.66 का छायाप्रति समर्पित किया गया। प्रतिवादी द्वारा समर्पित जवाब में उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-391, रकवा-0.57 ए0 भूमि माँ के द्वारा वर्ष 1966 ई0 में बलदेव पाण्डेय, बाढो राय, बासुदेव राय, यदुवीर राय एवं महावरी राय से केवाला संख्या-1172/30.5.66 को खरीद किया गया है। जिसका सरकारी रसीद कटते आ रहे हैं। इस प्लॉट में पूर्व से ही मकान बना हुआ है एवं शेष जमीन पर कुआँ एवं घर-बारी बना हुआ है। जिसमें खेती करते हैं उक्त प्लॉट में 0.4 डी0 महेन्द्र राणा वगैरह एवं 10 डी0 सुमीत्रा देवी पति राजदेव मिस्त्री के पास बिक्री किये हैं। शेष जमीन में हम चार भाई हैं हमलोगों को पर हिस्सा 10½ डी0 है। जिससे हमारा पूर्व से मकान बना हुआ है उसी मकान का विस्तार किया जा रहा है। दिनांक-03.05.6 को हल्का निरीक्षक से संबंधित हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान मौजा हेसापारण खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-391 रकवा-0.51 ए0 भूमि पर ब्रह्मदेव राणा का आवासीय मकान बना हुआ है। वर्तमान समय से प्रश्नगत भूमि पर तालाब नहीं पाया गया है। आवेदक द्वारा समर्पित कागजात का अवलोकन किया जो कि निम्नवत है:- आवेदक के माँ द्वारा वर्ष 1966 ई0 में बालदेव पाण्डे, बाढो राय, बासुदेव राय, यदुवीर राय एवं महावीर राय से केवाला संख्या 1172 दिनांक-30.5.66 को खाता संख्या-20 प्लॉट संख्या-391 रकवा-0.57 ए0 भूमि का क्रय किया है। आवेदक द्वारा रिटर्न की छायाप्रति समर्पित किया गया है। जिसमें बलदेव पाण्डेय पिता ठाकुर जिसमें बलदेव पाण्डेय पिता-ठाकुर पाण्डेय के नाम दर्ज है। आवेदक द्वारा समर्पित राजस्व कागजात एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा हेसापारम खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-391 रकवा-0.57 ए0 भूमि का किस्म खतियान के अनुसार आहर दर्ज है। पंजी 2 के अनुसार पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 60/1 पर हुलास देवी पति जागों मिस्त्री खाता संख्या-20 रकवा-1.08 का जमाबंदी कायम है। वर्तमान समय में भूमि का बिक्री होकर $88\frac{3}{4}$ डी0 शेष बचा है। जिसका लगान रसीद वर्ष 28.8.11 तक निर्गत है। स्थल निरीक्षण के दौरान स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी ब्रह्मदेव राणा का आवासीय मकान

बना है खाली भूमि पर कुआँ है एवं खेती योग्य भूमि है। प्रतिवादी ब्रह्मदेव राणा द्वारा अपने आवासीय मकान के राटे ही मकान का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में प्रश्नगत भूमि पर तालाब नहीं पाया जाता है। चूंकि भूमि का किस्म गैरमजरूआ खास एवं किस्म आहर दर्ज है तथा प्रतिवादी ब्रह्मदेव राणा के माँ के नाम से लम्बे समय से जमाबंदी कायम है एवं इनका आवासीय मकान बना हुआ है। उक्त संदर्भ में किसी भी प्रकार आदेश करना इस न्यायालय के अधिकार से बाहर है। अभिलेख त्रुटि मार्जन हेतु प्राप्त हुआ जिसका त्रुटिमार्जन किया गया। खाता संख्या-20 प्लॉट संख्या-391 रकवा-051 ए0 भूमि मौजा हेसापारम में सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की है एवं किस्म आहर दर्ज है। प्रतिवादी ब्रह्मदेव मिस्त्री द्वारा अपने पक्ष में कागजात प्रस्तुत किये हैं जो कि अभिलेख में सलग्न है, कागजात का विवरण पृष्ठ संख्या 2 पर उल्लेखित है। प्रतिवादी के माँ हुलास देवी द्वारा प्रश्नगत भूमि केवाला संख्या-1172/30.5.66 को बलदेव पाण्डेय, बाढो राय, बासुदेव राय, यदुवीर राय एवं महावीर राय से क्रय किया गया है। स्वयं एवं हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का साथ स्थल निरीक्षक किया, स्थल निरीक्षण के दौरान वर्तमान समय में प्रश्नगत भूमि पर आहर नहीं पाया गया। प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी ब्रह्मदेव मिस्त्री का आवासीय मकान है एवं शेष भूमि पर खेती किया जा रहा है। जबकि खतियान के अनुसार भूमि का किस्म गैरमजरूआ खास खाता आहर है। प्रतिवादी द्वारा समर्पित राजस्व कागजात के अनुसार प्रतिवादी का प्रश्नगत भूमि पर काफी लम्बे समय से दखल कब्जा प्रतीत होता है। तथा इनका आवासीय मकान बना हुआ है। प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी काफी लंबे समय से कायम है एवं प्रतिवादी उक्त भूमि पर दखल काबिज है। भूमि का किस्म गैरमजरूआ खास खाते एवं आहर दर्ज होने के कारण प्रतिवादी का जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होता है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख को भूमि सुधार उपसमाहर्ता चतरा को भेजा जाय।”

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन/कागजातों एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर निम्न बिन्दु परिलक्षित होता है :-

—————> गैरमजरूआ खास भूमि किस्म आहर भूमि का मामला ।

—————> गैरमजरूआ खास भूमि किस्म आहर भूमि का मामला — अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी से प्राप्त अभिलेख के आदेश पत्रक में उल्लेखित है

कि-“सर्वे खतियान के अनुसार मौजा हेसापरण थाना संख्या 56 खाता संख्या 20 प्लॉट संख्या 391 रकवा 0.57 ए० भूमि का किरम आहर दर्ज है। उक्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।”

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के द्वारा निर्गत विभिन्न पत्रांक-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020, पत्रांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016, पत्रांक-2861/रा०, दिनांक-08.06.2017, पत्रांक-6144/रा०, दिनांक-21.12.2017 एवं 2884/रा०, दिनांक-10.07.2018 एवं 6205/रा०, दिनांक-27.12.2017 के माध्यम से अवैध जमाबंदी को रद्द करने तथा नियमित करने एवं अन्य से संबंधित मामले पर दिशा-निर्देश प्राप्त है।

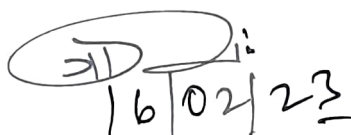
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही भूमि के किरम के अनुसार अग्रतर कार्रवाई करना है। अतः अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी को आदेश दिया जाता है कि संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर ॥ एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए तथा साथ ही साथ वरीय पदाधिकारी से प्राप्त निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात् नियमसंगत/विधिसम्मत अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी को अग्रतर कार्रवाई हेतु संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।